न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 02/2021
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

कृषि उपज मण्डी समिति नरायना ग्राम नरायना तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 22.07.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

निर्णय

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा मुं0 सांभर द्वारा न्यायालय के समक्ष सेटलमैन्ट खतौनी ग्राम नरायना तहसील फुलेरा सम्वत 2011–2029 के आ०ख़0नं0 1921 रकबा 3 बीघा 03 विस्वा किस्स गै० मु०पाल खसरा नम्बर 1928 रकबा 5 बीघा 04 विस्वा किस्म गै० मु० तलाई ख़सरा नम्बर 3624 रकबा 3 बीघा 09 विस्वा किस्म गै०मु०तलाई खसरा नम्बर 3626 रकबा 2 बीघा 08 विस्वा किस्स गै0मु0 तलाई सिवायचक बिना लगानी अंकित है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 में कृषि उपज मण्डी समिति नरायना ग्राम नरायना तहसील फुलेरा मु० सॉभर लेक खसरा नम्बर 1921 रकबा 0.7966 हैक्टेयर किस्म गै० मु०पाल, खसरा नम्बर 1928/1 रकबा 0.2529 हैक्टेयर किस्म गै० म० तलाई, खसरा नम्बर 1928/2 रकबा 1.0622 हैक्टेयर किस्म गै०मु०तलाई, खसरा नम्बर 3624 रकबा 0.8725 हैक्टेयर किस्म गै० मु० तलाई, खसरा नम्बर 3626 रकबा 0.6072 हैक्टेयर किस्म गै०मु० तलाई दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी सॉभर .लेक के आदेश कमांक/भूमि आवंटन/77/223 दिनाँक 21–02–1977 के तहत ख0नं0 1928/1 रकबा 1 बीघा, ख०नं० 1928/2 रकबा 4 बीघा 04 विस्वा, ख0नं0 1921 रकबा 3 बीघा 03 विस्वा, ख0नं0 3625/2 रकवा 20 बीघा, ख़0नं0 3621 रकबा 2 बीघा 02 विस्वा, ख०न० 3624 रकबा 3 बीघा 09 विस्वा, ख़०नं० 3626 रकबा 2 बीघा 08 विस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 36 बीघा 06 विस्वा का आवंटन हुआ है। उक्त भूमि जरिये ग्राम नरायना के नामान्तरणकरण संख्या 1174 दिनॉक 25–03–1977 से कृषि उपज मण्डी समिति नरायना को जरिये आवंटन आदेश/नियमन /77/222 दिजॉक 21–02–1977 उपखण्ड अधिकारी सॉभर लेक के द्वारा दर्ज हुई है। उक्त भूमि मुताबिक सेटलमैन्ट खतौनी गै0 मु0. तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त ख़ातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया।

अन्त में प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को स्वीकार फरमाकर वर्णित भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी जमाबंदी संवत 2076 से 2079, नामान्तकरण संख्या 1174 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

रेफरेन्स पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलबी नोटिस जारी किये गये। तथा रजि0 नोटिस जारी किये गये। जो एक माह तक वापस प्राप्त नही। बावजूद सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण लम्बे समय से लम्बित है। अतः पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि सेटलमैन्ट खतौनी ग्राम नरायना तहसील फुलेरा सम्वत 2011–2029 के आ०ख0नं0 1921 रकबा 3 बीघा 03 विस्वा किस्स गै० मु०पाल खसरा नम्बर 1928 रकबा 5 बीघा 04 विस्वा किस्म गै० मु० तलाई खसरा नम्बर 3624 रकबा 3 बीघा 09 विस्वा किस्म गै०मु०तलाई खसरा नम्बर 3626 रकबा 2 बीघा 08 विस्वा किस्स गै0मु0 तलाई सिवायचक बिना लगानी अंकित है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 में कृषि उपज मण्डी समिति नरायना ग्राम नरायना तहसील फुलेरा मु० सॉभर लेक खसरा नम्बर 1921 रकबा 0.7966 हैक्टेयर किस्म गै० मु०पाल, खसरा नंम्बर 1928/1 रकबा 0.2529 हैक्टेयर किस्म गै० म० तलाई, खसरा नम्बर 1928/2 रकबा 1.0622 हैव्टेयर किस्म गै०मु०तलाई, खसरा नम्बर 3624 रकबा 0.8725 हैक्टेयर किस्म गै० मु० तलाई, खसरा नम्बर 3626 रकबा 0.6072 हैक्टेयर किस्म गै०मु० तलाई दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी सॉभर लेक के आदेश कमांक/भूमि आवंटन/77/223 दिनॉक 21–02–1977 के तहत ख0नं0 1928/1 रकबा 1 बीघा, ख०नं० 1928/2 रकबा 4 बीघा 04 विस्वा, ख0नं0 1921 रकबा 3 बीघा 03 विस्वा, ख0नं0 3625/2 रकवा 20 बीघा, ख0नं0 3621 रकबा 2 बीघा 02 विस्वा, ख०न० 3624 रकबा 3 बीघा 09 विस्वा, ख०नं० 3626 रकबा 2 बीघा 08 विस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 36 बीघा 06 विस्वा का आवंटन हुआ है। उक्त भूमि जरिये ग्राम नरायना के नामान्तरणकरण संख्या 1174 दिनॉक 25–03–1977 से कृषि उपज मण्डी समिति नरायना को जरिये आवंटन आदेश/नियमन /77/222 दिजॉक 21–02–1977 उपखण्ड अधिकारी सॉभर लेक के द्वारा दर्ज हुई है। उक्त भूमि मुताबिक सेटलमैन्ट खतौनी गै0 मु0. तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्‌भूत नहीं होते है। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि मौके पर पानी भराव क्षेत्र/कैचमेन्ट ऐरिया के क्षेत्र में आती है। वर्तमान में खसरा नम्बर 3621 में मौके पर कृषि उपज मण्डी का गोदाम बना हुआ है। इसके अलावा सभी किता 5 रकबा 3.5912 है0 भूमि खाली है तथा उक्त भूमि के चारो ओर 6 फिट ऊचाई में चार दिवारी बनी हुई है। तथा खसरा नम्बर 1928/2 के उत्तरी सीमा पर चार दिवारी नही है। अन्य किसी प्रकार का कोई निर्माण नही है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर भराव व डूब क्षैत्र होने के कारण ही निर्माण नही हो पाया है। अतः जिसके अनुसार उक्त भूमि वापस बन्दोबस्त अभिलेख के अनुसार राजस्व रिकार्ड में सरकारी अंकित होना अपेक्षित है। डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त खातेदारी निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र सेटलमैन्ट खतौनी ग्राम नरायना तहसील फुलेरा सम्वत 2011–2029 के आ०ख0नं0 1921 रकबा 3 बीघा 03 विस्वा किस्स गै० मु०पाल खसरा नम्बर 1928 रकबा 5 बीघा 04 विस्वा किस्म गै० मु० तलाई खसरा नम्बर 3624 रकबा 3 बीघा 09 विस्वा किस्म गै०मु०तलाई खसरा नम्बर 3626 रकबा 2 बीघा 08 विस्वा किस्स गै0मु0 तलाई सिवायचक बिना लगानी अंकित है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 में कृषि उपज मण्डी समिति नरायना ग्राम नरायना तहसील फुलेरा मु० सॉभर लेक खसरा नम्बर 1921 रकबा 0.7966 हैक्टेयर किस्म गै० मु०पाल, खसरा नम्बर 1928/1 रकबा 0.2529 हैक्टेयर किस्म गै० मु० तलाई, खसरा नम्बर 1928/2 रकबा 1.0622 हैव्टेयर किस्म गै०मु०तलाई, खसरा नम्बर 3624 रकबा 0.8725 हैक्टेयर किस्म गै० मु० तलाई, खसरा नम्बर 3626 रकबा 0.6072 हैक्टेयर किस्म गै०मु० तलाई दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी सॉभर लेक के आदेश कमांक/भूमि आवंटन/77/223 दिनॉक 21–02–1977 के तहत ख0नं0 1928/1 रकबा 1 बीघा, ख०नं०

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate • JAIPUR

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

1928/2 रकबा 4 बीघा 04 विस्वा, ख0नं0 1921 रकबा 3 बीघा 03 विस्वा, ख0नं0 3625/2 रकवा 20 बीघा, ख0नं0 3621 रकबा 2 बीघा 02 विस्वा, ख०नं० 3624 रकबा 3 बीघा 09 विस्वा, ख०नं० 3626 रकबा 2 बीघा 08 विस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 36 बीघा 06 विस्वा का आवंटन हुआ है। उक्त भूमि जरिये ग्राम नरायना के नामान्तरणकरण संख्या 1174 दिनॉक 25–03–1977 से कृषि उपज मण्डी समिति नरायना को जरिये आवंटन आदेश/नियमन /77/222 दिजॉक 21–02–1977 उपखण्ड अधिकारी सॉभर लेक के द्वारा दर्ज हुई है। उक्त भूमि मुताबिक सेटलमैन्ट खतौनी गै0 मु0. तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्‌भूत नहीं होते है। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि मौके पर पानी भराव क्षैत्र/कैचमेन्ट ऐरिया के क्षैत्र में आती है। वर्तमान में खसरा नम्बर 3621 में मौके पर कृषि उपज मण्डी का गोदाम बना हुआ है। इसके अलावा सभी किता 5 रकबा 3.5912 है0 भूमि खाली है तथा उक्त भूमि के चारो ओर 6 फिट ऊचाई में चार दिवारी बनी हुई है। तथा खसरा नम्बर 1928/2 के उत्तरी सीमा पर चार दिवारी नही है। अन्य किसी प्रकार का कोई निर्माण नही है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर भराव व डूब क्षैत्र होने के कारण ही निर्माण नही हो पाया है। मा0 उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 02/08/2004 की पालना में तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के क्रम में उक्त भूमि किस्म गै0मु0 तलाई आवंटन योग्य नही है तथा पूर्वानुसार राजकीय खाते में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नरायना खसरा नम्बर 1921 रकबा 0.7966 हैक्टेयर किस्म गै० मु०पाल, खसरा नम्बर 1928/1 रकबा 0.2529 हैक्टेयर किस्म गै० म० तलाई, खसरा नम्बर 1928/2 रकबा 1.0622 हैक्टेयर किस्म गै०मु०तलाई, खसरा नम्बर 3624 रकबा 0.8725 हैक्टेयर किस्म गै० मु० तलाई, खसरा नम्बर 3626 रकबा 0.6072 हैक्टेयर किस्म गै०मु० तलाई भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में पूर्वानुसार राजकीय खाते में दर्ज किये जाने हेतु पत्रावली मय निर्णय की तीन प्रमाणित प्रतियों के साथ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को रेफरेन्स स्वीकृती हेतु भिजवाया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 22-07-2015 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अतिरिक्त कलेक्टर (तृ) अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate - III • JAIPUR •